तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–2

प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेतु क्यू.आर. कोड स्कैन करें

तत्काल निर्गत

प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संकलन है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 674.66 करोड़ था।

राज्य के कुल 79 सरकारी कम्पनियों एवं वैधानिक निगमों में से 75 कम्पनियों/वैधानिक निगमों के 1,321 लेखे बकाये में थे। इनमें से एक के लेखे 1977–78 से लम्बित थे।

31 मार्च 2019 को इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंश पूँजी (₹ 36,122.20 करोड़) एवं ऋणों (₹ 8,800.51 करोड़) के रूप में सरकार का कुल निवेश ₹ 44,922.71 करोड़ था।

बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य भण्डारण निगम और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्रमशः दो वर्ष, एक वर्ष तथा 32 वर्षों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार के पास कोई लाभांश नीति नहीं है क्योंकि आठ लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में से केवल दो कम्पनियों ने लाभांश का भुगतान किया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2006–07 से 2009–10), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (2017–18), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (2017–18), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (1999–2000 से 2002–03) और बिहार राज्य भण्डारण निगम (2012–13) के लेखाओं के सम्बन्ध में गंभीर कमियों के कारण मन्तव्य देने का अस्वीकरण (डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन) जारी किया।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) द्वारा क्रियान्वित **बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- रिस्ट्रक्चर्ड एक्सलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्म्स प्रोग्राम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत आनेवाले 67 शहरों में से केवल एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के दो शहर 2018–19 की अवधि के दौरान ए0टी0 एण्ड सी0 हानि के वांछित लक्ष्य (15 प्रतिशत) को प्राप्त कर सके थे। 67 शहरों में से केवल एक शहर की विपत्रीकरण दक्षता 90 प्रतिशत से ऊपर थी। वर्ष 2015–16 की तुलना में 2018–19 में डिस्कॉम्स का प्रदर्शन और अधिक खराब हो गया था क्योंकि 67 शहरों में से 13 शहरों में विपत्रीकरण दक्षता में कमी का रूझान था।

- इन्टिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित दरों की सीमा के अन्दर परियोजना प्रबंधन एजेंसी की निविदा को अन्तिम रूप देने में विलंब तथा निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूर्ण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 52.04 करोड़ का अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा।

- वितरण ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, कन्डक्टर तथा केबुल पर निर्धारित दरों की अधिकतम सीमा लागू नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 26.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- डिस्कॉम्स नेट मीटरींग के साथ सरकारी भवनों पर सौर पैनलों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा करवाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ब्रेडा की तुलना में संवेदकों को समान कार्य के लिए किये गये भुगतान में ₹ 36.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित बिहार पावर सिस्टम इम्प्रुवमेन्ट परियोजना के तहत खराब प्रगति के कारण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ने अनुबन्ध को रद्द कर दिया लेकिन वैधता अवधि के अन्दर ₹ 4.90 करोड़ के बैंक गारन्टी का नकदीकरण नहीं किया, जो कि अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में कम्पनी के खराब अनुश्रवण को दर्शाता है।

- डिस्कॉम्स बिजली की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे क्योंकि वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान प्रत्येक रूपये के व्यय पर अर्जित आय एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 0.73 से ₹ 0.90 तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 0.92 से ₹ 0.94 के मध्य थी।

- राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी में ₹ 17,892.44 करोड़ (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 7,371.85 करोड़ तथा एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 10,520.59 करोड़) निवेश के अलावा पूँजी अनुदान (₹ 8,264.58 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 17,259.98 करोड़) प्रदान करने के बावजूद, कम्पनी की वित्तीय स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी ने ₹ 8,433.14 करोड़ की हानि वहन की थी।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अवलोकन किए गए थे।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पटना में बनाये जा रहे फ्लाईओवर पर दीर्घ कंडिका में कई मुद्दों को इंगित किया गया है:

- कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने
  - निविदाओं का आमंत्रण तथा फ्लाईओवर के कार्यों की शुरूआत की तथा तकनीकी स्वीकृति से पहले संवेदकों को ₹ 66.25 करोड़ का भुगतान भी किया।
  - अनुबंध किये बिना मेसर्स फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आई0आई0टी0 दिल्ली (एफ0आई0टी0टी0) को ₹ 4.08 करोड़ का भुगतान किया।
  - एकल स्रोत से चयन हेतु पूर्ण औचित्य दर्ज किए बिना, जो कि नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक था, नामांकन के आधार पर मेसर्स प्लानिन इनावेशन एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज (पिक्स) को नियुक्त किया।
- लोहिया पथ चक्र परियोजना में कम्पनी द्वारा ₹ 16.90 करोड़ परियोजना निधि पर गलत तरीके से भारित किया गया तथा उस पर ₹ 1.52 करोड़ सेंटेज के रूप में दर्ज किया गया जिसके फलस्वरूप राजकोष पर ₹ 18.42 करोड़ का भार पड़ा।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश:

- भार वृद्धि में विलम्ब के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ₹ 2.10 करोड़ की आय प्राप्त करने में विफल रही।
- संविदा माँग के अल्प निर्धारण के कारण नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को मई 2016 से दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
- बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अस्वीकार्य मदों पर सेंटेंज प्रभारित करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 23.97 करोड़ के अतिरिक्त आय कर का भुगतान करना पड़ा बल्कि राजकोष पर कुल ₹ 61.73 करोड़ का भार भी पड़ा।
- बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.56 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सेवा प्रदान करने के सकल मूल्य पर सेवाकर एकत्र करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप स्वयं के स्रोतों से ₹ 10.09 करोड़ के सेवाकर और उसपर दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 6.41 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

- बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने जलापूर्त्ति परियोजना के निष्पादन में हुए विलम्ब के विरूद्ध क्षतिपूर्त्ति दण्ड की अल्प कटौती कर संवेदक को ₹ 1.96 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।
- बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने बिना किसी त्वरित आवश्यकता के बैंक ड्राफ्ट बनाकर तथा उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से खर्च मानकर वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना

इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्श अग्रवाल, उप महालेखाकार (ए0एम0जी0 I) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार का कार्यालय, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001.
दूरभाष सं0 ई– मेल आई0डी0	0612–2506283 (कार्यालय) agaubihar@cag.gov.in agarwala2@cag.gov.in
मीडिया अधिकारी मो0 सं0	श्री कुन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार का कार्यालय, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001. 9431624894
कार्यालय की वेबसाईट फैक्स सं0	https://cag.gov.in/ag/bihar/hi 0612–2506223